विजय कुमार / बुंदीराम - 94/2014

6/2/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पाडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही रिकार्ड तलबी दिनांक 28/5/24 को पेश हो।	
28/5/24	पत्रावली पेश। प्रकरण में विचारण न्यायालय का रिकार्ड अप्राप्त है। विचारण न्यायालय से विशेष वाहक के माध्यम से रिकार्ड तलब किया जावें। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 9.7.24 को पेश हों।	
9.7.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में विचारण न्यायालय का रिकार्ड अप्राप्त है। विचारण न्यायालय से विशेष वाहक के माध्यम से रिकार्ड तलब किया जावें। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 27/8/24 को पेश हों।	उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते
27/8/24	पत्रावली पेश। वकली अपीलांट एवं अपीलांट स्वय को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)